

संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ

मध्यप्रदेश

क्रमांक - 7/लोस्वा/एन.टी.सी.पी./189  
प्रति,

भोपाल, दिनांक - 11-6-10

आयुक्त,  
लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश।

विषय :- प्रदेश के समस्त विद्यालयों में तम्बाकू नियंत्रण को प्रभावी रूप से लागू करने के संबंध में।

- संदर्भ :-
1. भारत शासन द्वारा पत्र क्र. D.O. No. P16017/20/2009-PH-1, दिनांक 8 मई 2010
  2. स्कूल शिक्षा विभाग का पत्र क्र. 2093/प्रस/स्कू.शि./2008/202, दिनांक 20/06/2008

उपरोक्त विषय एवं संदर्भ में लेख है कि भारत शासन द्वारा "सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम 2003" पूरे भारत वर्ष में लागू है। अधिनियम की धारा 4 के अनुसार सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान एवं 6 (ब) के अनुसार किसी भी शैक्षणिक संस्था के 100 गज के दायरे में सिगरेट या तम्बाकू उत्पाद का विक्रय प्रतिबंधित किया गया है। उपरोक्तानुसार प्रदेश के सभी विद्यालयों को तम्बाकू मुक्त बनाने हेतु निम्नलिखित कार्यवाही सुनिश्चित की जानी है :-

- (1) शैक्षणिक संस्था का प्रबंधक अथवा प्रभारी व्यक्ति परिसरों के बाहर मुख्य स्थानों पर एक बोर्ड प्रदर्शित करे, जिस पर सुस्पष्ट रूप से यह लिखा हो कि शैक्षणिक संस्था के 100 गज के दायरे के भीतर आने वाले क्षेत्रों पर तम्बाकू उत्पादों की बिक्री दण्डनीय अपराध है एवं उल्लंघन पर 200 रुपये तक जुर्माना किया जायेगा।
- (2) सभी विद्यालय परिसर सार्वजनिक स्थलों की श्रेणी में आते हैं अतः यदि कोई शिक्षक, अन्य कर्मचारी या आगन्तुक विद्यालय परिसर में धूम्रपान करते हुये पाया जाये तो उस पर 200 रुपये तक दण्डित किया जाये।
- (3) विद्यालय स्तर पर उक्त प्रावधानों की निगरानी हेतु छात्रों एवं शिक्षकों के मध्य से "तम्बाकू नियंत्रण प्रहरी" नियुक्त किया जावे।
- (4) विद्यालय में समय-समय पर तम्बाकू नियंत्रण गतिविधियां जैसे- नारे लेखन, निबंध लेखन, वाद-विवाद, भाषण, चित्रकला प्रतियोगिता तथा रैली इत्यादि आयोजित की जाये।
- (5) विद्यालय पाठ्यक्रम एवं शिक्षक प्रशिक्षणों में तम्बाकू के हानिकारक प्रभावों के संबंध में विषय-वस्तु शामिल की जाये।

अतः उपरोक्त संबंध में यथोचित कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्न- उपरोक्तानुसार।

*(Handwritten Signature)*  
 11.6.2010  
 (डॉ. ए.एन. मित्तल)  
 संचालक लोक स्वास्थ्य  
 संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ

3/7/10


0761  
2623197

लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश  
 गौतम नगर, भोपाल 462021  
 दूरभाष 91-0755-2583659 फ़ैक्स 91-0755-2583651  
 ई-मेल [dpimp@sancharnet.in](mailto:dpimp@sancharnet.in)

पृष्ठां क्रमांक/विद्या/2009/ 714  
 प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 23.7.2010

- 1- सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, म.प्र.शासन, भोपाल ।
  - 2- विशेष सहायक, मान0मंत्री स्कूल शिक्षा विभाग, भोपाल म.प्र. ।
  - 3- विशेष सहायक, मान0राज्यमंत्री स्कूल शिक्षा विभाग, भोपाल म.प्र. ।
  - 4- प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, म.प्र. भोपाल ।
  - 5- समस्त आयुक्त, मध्यप्रदेश ।
  - 6- समस्त, संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश ।
  - 7- समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश ।
  - 8- समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, मध्यप्रदेश ।
  - 9- प्रबंध संचालक, म.प्र.पाठ्य पुस्तक निगम, म.प्र. भोपाल ।
  - 10- आयुक्त, आदिवासी विकास, म.प्र. ।
  - 11- संचालक, म.प्र.राज्य ओपन स्कूल भोपाल ।
  - 12- सचिव, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र. भोपाल ।
  - 13- समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत मध्यप्रदेश ।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

  
 (डॉ० कौशल किशोर पाण्डेय)  
 संयुक्त संचालक  
 लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

(15)

मध्यप्रदेश शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय - वल्लभ भवन

क्रमांक-2093/प्रस/स्कूल0शि0/2008/20-2  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 20 जून 2008

- 1- जिला कलेक्टर,  
मध्यप्रदेश शासन।
- 2- मुख्य कार्यपालन अधिकारी,  
जिला पंचायत, मध्यप्रदेश शासन।

विषय:- जिले के सभी विद्यालयों को तंबाकू मुक्त बनाने के लिये 1 जुलाई 2008 तंबाकू निषेध गतिविधियाँ आयोजित करने बाबत।

मध्यप्रदेश के सभी जिलों के समस्त शासकीय एवं निजी विद्यालयों को तंबाकू मुक्त बनाने के लिये 1 जुलाई 2008 से प्रारंभ होने वाले शिक्षण सत्र में तंबाकू नियंत्रण की निर्देशित गतिविधियाँ आयोजित की जाये तथा तंबाकू नियंत्रण कानून के प्रावधानों का कड़ाई से अनुपालन कराया जाये।

- 1- तंबाकू नियंत्रण अधिनियम 2003 के सेक्शन-4 के अनुसार सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान प्रतिबंधित है। सभी विद्यालय सार्वजनिक स्थलों की श्रेणी में आते हैं। अतः विद्यालय परिसरों में धूम्रपान प्रतिबंधित हो। यदि कोई शिक्षक, अन्य कर्मचारी या आगंतुक स्कूल परिसर में धूम्रपान करते पाया जाये तो उस पर आर्थिक दण्ड किया जावे एवं दुबारा पकड़े जाने पर उक्त कर्मचारी को सी आर में उल्लेखित किया जाये।
- 2- तंबाकू नियंत्रण अधिनियम 2003 के सेक्शन 6अ के अनुसार 18 वर्ष से कम आयु के अवयस्क व्यक्ति को या उसके द्वारा तंबाकू उत्पाद बेचना प्रतिबंधित है। यदि विद्यालय परिसर के आसपास ऐसी परिस्थिति होने की दशा में विद्यालय प्रशासन द्वारा स्थानीय प्रशासन एवं पुलिस विभाग के सहयोग से कर उचित कार्यवाही की जावे। इस हेतु समय-समय पर प्रशासन द्वारा स्वैच्छिक कार्यकर्ता छात्रों के सहयोग से छापामार कार्यवाही की जावे।
- 3- तंबाकू नियंत्रण अधिनियम 2003 के सेक्शन 6ब के अनुसार यदि किसी शैक्षणिक संस्थान के 100 मीटर की परिधि में तंबाकू उत्पादों का विक्रय प्रतिबंधित है। यदि विद्यालय परिसर के 100 मीटर की परिधि में कोई व्यक्ति तंबाकू उत्पाद होने की दशा में विद्यालय प्रशासन द्वारा स्थानीय प्रशासन एवं पुलिस विभाग के सहयोग से कर उचित कार्यवाही की जावे।
- 4- सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान करने पर सेक्शन 21 तथा किसी अल्प वयस्क व्यक्ति को/के द्वारा तंबाकू उत्पाद बेचने पर, सेक्शन 24 के तहत 200/- तक जुर्माना हो सकता है।
- 5- विद्यालय स्तर पर उक्त प्रावधानों की निगरानी हेतु "तंबाकू नियंत्रण प्रहरी" नियुक्त किये जावे। इसके लिये विद्यालय प्रशासन द्वारा एक शिक्षक (एनएसएस, एनसीसी, स्काउट, खेलकूद या अन्य कोई शिक्षक) तथा तीन छात्रों (एनएसएस, एनसीसी, स्काउट या अन्य कोई छात्र) को चुनकर एक दल गठित किया जाये।

जिला तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के स्कूल कार्यक्रम के अंतर्गत तंबाकू नियंत्रण प्रहरी को प्रशिक्षित किया जायेगा। तंबाकू नियंत्रण प्रहरी इन प्रावधानों को सख्ती से लागू करने हेतु जिम्मेदार होंगे तथा छात्रों को तंबाकू से दूर रहने हेतु जागरूक करेंगे।

- 6- शिक्षण सत्र के प्रारंभ में तंबाकू नियंत्रण प्रहरीयों के सहयोग से विद्यालय प्रशासन तंबाकू खाने व धूम्रपान करने वाले शिक्षकों, कर्मचारियों तथा छात्रों की संख्या एकत्रित कर जिला प्रशासन को सूचित करें। यह जानकारी 4 माह के पश्चात् पुनः जानकारी एकत्र कर जिला प्रशासन को सूचित करें तथा अवलोकन करें कि तंबाकू खाने व धूम्रपान में कितनी कमी आई है।
- 7- तंबाकू उपयोग पर पूर्ण रूप से नियंत्रण प्राप्त करने वाले विद्यालय को जिला प्रशासन द्वारा "तंबाकू मुक्त विद्यालय" घोषित किया जाये तथा विद्यालय के मुख्य द्वार या मुख्य दीवार पर "तंबाकू मुक्त विद्यालय" का बोर्ड लगाया जाये।
- 8- जिला स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से विद्यालय स्तर पर स्वास्थ्य जाँच शिविरों में बच्चों को तंबाकू उपयोग के दुष्प्रभावों की जानकारी दी जावे।
- 9- विद्यालय में वर्षभर आयोजित की जाने वाली सांस्कृतिक गतिविधियों में तंबाकू विषय पर नारे लेखन, निबंध लेखन, वाद-विवाद, भाषण, चित्रकला प्रतियोगिता तथा रैली आयोजित की जाये।
- 10- तंबाकू नियंत्रण के लिये उत्कृष्ट कार्य करने वाले तंबाकू नियंत्रण प्रहरीयों तथा स्कूल प्रशासन को 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर जिला प्रशासन द्वारा प्रोत्साहित एवं सम्मानित किया जावे।
- 11- विद्यालयों की स्टेशनरी जैसे- नाम पट्टिका (स्टीकर) नोटबुक, प्रगति पत्र (प्रोग्रेस कार्ड) आदि पर तंबाकू विरोधी नारे लिखे जाये। जो व्यक्ति को तंबाकू से दूर रहने के प्रति सचेत करते रहेंगे।

उपरोक्त बिन्दुओं पर की गई कार्यवाही के विषय में मासिक प्रतिवेदन के माध्यम से अवगत कराने की कृपा करें।

हस्ता/-  
(मदन मोहन उपाध्याय)  
प्रमुख सचिव  
मध्यप्रदेश शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग

लोक शिक्षण संचालनालय  
मध्यप्रदेश

पृष्ठां. क्रमांक-विद्या/ई/142/2008/957  
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 04/07/2008

- 1- डॉ० विनायक प्रसाद, संचालक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ए विंग, निर्माण भवन, मौलाना आजाद मार्ग, नई दिल्ली।
- 2- श्रीमती विनीत गिल, विश्व स्वास्थ्य संगठन, 534, ए विंग, निर्माण भवन, मौलाना आजाद मार्ग, नई दिल्ली।

(3)

- 3- डॉ० देवराज बिरदी, प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, शासन, वल्लभ भवन, भोपाल।
- 4- श्रीमती अलका उपाध्याय, आयुक्त, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश शासन, 5 मंजिल, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
- 5- डॉ० अशोक शर्मा, संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, 4 मंजिल, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
- 6- डॉ० बी०एम० श्रीवास्तव, नोडल ऑफिसर, राज्य तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ, मध्यप्रदेश, शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय इन्दौर।
- 7- प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ।
- 8- समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ।
- 9- समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, मध्यप्रदेश अपने अधीनस्थ जिले के समस्त शासकीय/अशासकीय विद्यालयों के प्राचार्यों को तंबाकू नियंत्रण की निर्देशित गतिविधियाँ आयोजित कर तंबाकू नियंत्रण कानून के प्रावधानों का कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

(Mh)

(डॉ० महेश जैन)

सहायक संचालक  
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश